माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

प्रवेशिका परीक्षा – 2014 ''अनुदेश – पत्र''

स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिये सामान्य निर्देश एवं आवश्यक सूचनाएँ

Website : www.rajeduboard.nic.in

परीक्षार्थ आवेदन करने की अन्तिम तिथियाँ एवं परीक्षा शुल्क

		अन्तिम तिथि	देय परीक्षा शुल्क
1.	सामान्य परीक्षा शुल्क	21 अगस्त, 2013	रु. 500/–
2.	एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित	05 सितम्बर, 2013	रु. 1000/–
3.	असाधारण परीक्षा शुल्क रु. 1000/– सहित	30 नवम्बर, 2013	रु. 1500/– (जिला मुख्यालय पर एक)

पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण एवं शुल्क जमा कर अनुपस्थित रहे परीक्षार्थियों के लिए

1.	सामान्य परीक्षा शुल्क	07 अक्टूबर, 2013	रु. 500/–
2.	एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित	14 अक्टूबर, 2013	रु. 1000/–
3.	असाधारण परीक्षा शुल्क रु. 1000/– सहित	30 नवम्बर, 2013	रु. 1500/– (जिला मुख्यालय पर एक)

नोट :– (i) परीक्षार्थी को परीक्षा शुल्क के अलावा अग्रेषण अधिकारी को रु. 40/– अग्रेषण शुल्क भी देना होगा।

(ii) असाधारण परीक्षा शुल्क सहित आवेदन पत्र प्रत्येक जिला मुख्यालय पर नियुक्त निम्नांकित अग्रेषण अधिकारी द्वारा स्वीकार किये जायेंगे तथा उन्हें परीक्षा भी जिला मुख्यालय पर नियुक्त संस्कृत परीक्षाओं के किसी भी परीक्षा केन्द्र पर देनी होगी। असाधारण परीक्षा शुल्क के लिये अग्रेषण अधिकारी निम्नानुसार होंगे :

1.	अजमेर	राज. जवाहर उ.मा. विद्यालय, सिविल लाईन
2.	भीलवाड़ा	श्री महेश शि.स.उ.मा. विद्यालय
3.	नागौर	रा. सेठ कि. का उ.मा. विद्यालय
4.	टोंक	राज.उ.मा. विद्यालय
5.	जयपुर	राज. पौद्दार उ.मा. विद्यालय
6.	जयपुर	श्री म.दि. जैनउ .मा.वि.महावीर मार्ग, सी.स्कीम, अशोकनगर
7.	भरतपुर	सनातन धर्म उ.मा. विद्यालय
8.	धौलपुर	राज. महाराणा उ.मा. विद्यालय
9.	अलवर	सैनी उ.मा. विद्यालय
10.	सीकर	राज. श्री कल्याण उ.मा. विद्यालय
11.	दौसा	श्रीरामकरण जोशी उ.मा. विद्यालय
12.	कोटा	राज.बालिका (महारानी) उ.मा.वि.,रामपुरा
13.	बांरा	राज. उ.मा. विद्यालय
14.	बूंदी	राज. उ.मा. विद्यालय
15.	झालावाड	राज.बा.उ.मा. विद्यालय
16.	सवाईमाधोपुर	राज.उ.मा. विद्यालय
17.	करौली	राज.उ.मा. विद्यालय
18.	जोधपुर	राज. महात्मा गांधी उ.मा. विद्यालय
19.	जालौर	राज.उ.मा. विद्यालय
20.	जैसलमेर	राज.अ.श.सा.गोपा उ.मा. विद्यालय
21.	सिरोही	राज.उ.मा. विद्यालय
22.	पाली	राज. बांगड़ उ.मा. विद्यालय
23.	बाड़मेर	राज.उ.मा. विद्यालय
24.	उदयपुर	गुरू गो.सि.उ.मा. विद्यालय
25.	चित्तौड़गढ़	राज.उ.मा. विद्यालय
26.	राजसमन्द	राज.उ.मा. विद्यालय
27.	डूंगरपुर	राज. महारावल उ.मा. विद्यालय
28.	बांसवाड़ा	राज.बा.उ.मा. विद्यालय
29.	चूरू	राज. बागला उ.मा. विद्यालय
30.	बीकानेर	राज. सार्दुल उ.मा. विद्यालय
31.	हनुमानगढ़	राज.उ.मा. विद्यालय
32.	झुंझूनू	राज.उ.मा. विद्यालय
33.	श्रीगंगानगर	सेठ गिरधारीलाल बि.उ.मा. विद्यालय
34.	प्रतापगढ़	राज.उ.मा. विद्यालय

परीक्षा तिथि

प्रवेशिका परीक्षा गुरूवार 13 मार्च 2014 से प्रारम्भ होगी।

नोट :– उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन के लिए बोर्ड सक्षम होगा जिसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

1. **परीक्षार्थी कृपया ध्यान दें –**

(1) नियमों की पूर्ण जानकारी हेतु परीक्षार्थियों को सम्बंधित परीक्षा की विवरणिका देखना आवश्यक है। इस अनुदेश पत्र में केवल मुख्य बातें ही दी गई हैं। इनके आधार पर परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का कानूनी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। विवरणिका की प्रति बोर्ड द्वारा नियुक्त वितरकों से समूल्य प्राप्त की जा सकती है।

(2) परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र उसी जिले में वरीयता के आधार पर (चूंकि आवेदन पत्र में दो परीक्षा केन्द्र लिखने हैं) आवंटित किया जायेगा जिस जिले से उसने आवेदन पत्र अग्रेषित कराया अर्थात जिले के बाहर अन्य जिले का परीक्षा केन्द्र उसे नहीं दिया जाएगा। व्यवस्था की दृष्टि से बोर्ड किसी भी परीक्षार्थी को कोई भी परीक्षा केन्द्र आवंटित कर सकता है, इस व्यवस्था में आवंटित केन्द्र में परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जावेगा। सैनिक परीक्षार्थियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

नोट :– परीक्षा केन्द्र स्थान कोड ध्यानपूर्वक भरें। त्रुटिपूर्ण कोड भरने की स्थिति में गलत केन्द्र आवंटित होने की समस्त जिम्मेदारी परीक्षार्थी की होगी।

(3) सभी परीक्षार्थी सूचित हों कि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1993 के तहत परीक्षा में नकल/अनुचित साधनों को काम में लेने वाले परीक्षार्थियों को तीन वर्ष तक का कारावास या रु. 2000/– जुर्माना या दोनों दण्ड दिये जाने का प्रावधान है।

(4) इस अनुदेश पत्र को वे परीक्षा समाप्ति तक अपने पास सुरक्षित रखें। जो सूचनाएँ इस अनुदेश पत्र में दी गई है, उनके विषय में यदि पुनः पत्र व्यवहार किया गया तो उत्तर नहीं दिया जायेगा। आवेदन पत्र में यदि कोई सूचना, नियम/विनियमों के विरूद्ध भर दी गई तो वे किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी। परीक्षार्थी अपना आवेदन पत्र पूरी तरह सोच विचार कर भरें। अपूर्ण अथवा अधूरे या गलत भरे अथवा नियम व्यवस्था में नहीं आने वाले परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र बिना अग्रिम पूछताछ के निरस्त कर दिये जायेंगे। आवेदन पत्र भरते समय त्रुटि होने पर परीक्षार्थी द्वारा कोई सुधार किया जाता है तो परीक्षार्थी लघु हस्ताक्षर कर दें।

2. **आवेदन पत्र कैसे प्राप्त करें :–**

स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को परीक्षा में प्रवेशार्थ नमूने के रिक्त आवेदन–पत्र बोर्ड द्वारा नियुक्त अग्रेषण अधिकारियों से मिलेंगे। परीक्षार्थियों को अग्रेषण शुल्क रुपये 40/– तथा निर्धारित पूरा शुल्क अग्रेषण अधिकारी के पास जमा कराने के पश्चात ही

आवेदन–पत्र दिया जायेगा। अतः आवेदन पत्र भरने से पहले परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उसे किस श्रेणी में अथवा किन विषयों की परीक्षा देनी है, कौनसे विषय लेने हैं और उसके लिए कितना शुल्क उसे जमा कराना है। एक बार जमा कराया शुल्क किसी भी परिस्थिति में अग्रेषण अधिकारी द्वारा नहीं लौटाया जायेगा।

3. आवेदन के लिए कौन पात्र है :–

(1) बोर्ड की माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा में केवल वे ही परीक्षार्थी प्रवेश पा सकेंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8 की परीक्षा नियमित अथवा स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण कर ली हो। कक्षा 8 उत्तीर्ण करने वाले वर्ष के आगामी वर्ष को छोड़कर,अगले वर्ष में परीक्षार्थी स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा में प्रविष्ट हो सकेगा। जन्मतिथि की पुष्टि में भी वह उसी विद्यालय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र के साथ कक्षा 8 उत्तीर्ण की मूल अंकतालिका/मूल प्रमाण पत्र के साथ प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। गैर सरकारी विद्यालय द्वारा जारी टी.सी. (स्थानान्तरण प्रमाण पत्र) सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है। राजस्थान के बाहर के परीक्षार्थियों को सम्बंधित क्षेत्र के शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर कराकर मूल टी.सी. प्रस्तुत करनी होगी।

(2) प्रवेशिका परीक्षा वर्ष 2014 में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों (गत परीक्षा में अनुत्तीर्ण/रोके गये/अनुपस्थित रहे/विवर्जित किए गए परीक्षार्थियों सहित) को प्रवेशिका परीक्षा वर्ष 2014 की विवरणिका में दी गई परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रमानुसार ही परीक्षा देनी होगी।

(3) स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को सत्रांक उस सम्बंधित विषय में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर आनुपातिक रूप से दिये जावेंगे। गत वर्षो में प्राप्त सत्राकों की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी।

(4) **स्वयंपाठी (प्राइवेट) परीक्षार्थी की परिभाषा** :– स्वयंपाठी परीक्षार्थियों से आशय ऐसे परीक्षार्थी से है जो कि परीक्षार्थ आवेदन – पत्र भरने के समय से परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि तक बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में नियमित अध्ययन नहीं कर रहा हो।

4. किन श्रेणियों में आवेदन कर सकते हैं ?

प्रवेशिका परीक्षा निम्नांकित श्रेणियों (Categories) में आयोजित की जाती है। परीक्षार्थी एक बार में एक ही श्रेणी में प्रविष्ट हो सकता है।

श्रेणी I – सम्पूर्ण विषयों में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिए

श्रेणी II– श्रेणी सुधार हेतु सम्पूर्ण विषयों में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिए।

श्रेणी IV– अतिरिक्त विषय/विषयों में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिए। यथा प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र ही प्रवेशिका में अतिरिक्त विषय में वर्ष 2014 की परीक्षा में प्रविष्ट हो सकेगा।

श्रेणी VI– अंकों में सुधार हेतु (सम्पूर्ण विषयों में नहीं) प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिए।

प्रवेशिका परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा अथवा उच्च परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी बाद में किसीवर्ष में अनिवार्य तथा वैकल्पिकविषय/विषयों में परीक्षा दे सकता है, जिसमें/जिनमे वह पहले उत्तीर्ण नहीं हुआ हो, यदि उसने पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा अंग्रेजी विषय सहित तथा प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो। (परीक्षा को आवेदन पत्र के साथ पूर्व परीक्षा की उत्तीर्ण मूल अंक तालिका/प्रमाण पत्र (जो भी परीक्षा उत्तीर्ण हो) संलग्न करना अनिवार्य है।

<u>विशेष नोट</u> :–

(i) श्रेणी सुधार/अंक सुधार अथवा अतिरिक्त विषय में केवल इस बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को ही प्रवेश दिया जावेगा।

(ii) श्रेणी सुधार/अंक सुधार अथवा अतिरिक्त विषय में केवल नई पद्धति (10+2) से परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को ही प्रवेशाज्ञा दी जावेगी।

(iii) श्रेणी सुधार/अंक सुधार/वर्ग परिवर्तन कर परीक्षा में बैठने की अनुमति संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष से निरन्तर में एक अवसर (एक बार) दिया जावेगा।

(iv) श्रेणी II (श्रेणी सुधार) में परीक्षार्थी को विषय परिवर्तन कर परीक्षा में प्रवेशाज्ञा प्रदान नहीं की जावेगी।

5. आवेदन पत्र की पूर्ति किस प्रकार की जाए :

(1) **आवेदन पत्र** :– (क) अपने व्यक्तिगत विवरण में स्वयं का, पिता का व माता का नाम स्पष्टतः हिन्दी व अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखें। माता व पिता दोनों का नाम लिखा जाना आवश्यक है। यदि किसी कारणवश माता या पिता में से किसी एक का नाम नहीं लिखने की स्थिति में है, तो आवेदन पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अग्रेषण अधिकारी से सत्यापित कराकर संलग्न करें जिसमें कारण का उल्लेख स्पष्टतः किया जाए। यदि माता – पिता दोनों का ही नाम लिखने की स्थिति में नहीं हो तो अनाथालय या अभिभावक का नाम लिखने की छूट है किन्तु इस हेतु सप्रमाण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार जैन साध्वियों द्वारा दीक्षा लेने के बाद माता–पिता के नाम के स्थान पर गुरू का नाम लिखा जा सकता है। इस हेतु दीक्षा लेने का स्वयं के समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रमाण पत्र देने होंगे। स्वयं, पिता और माता के नाम की वर्तनी प्रलेखों के आधार पर सही लिखें। सामान्यतः इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को अपना नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि का विवरण वही अंकित करना होगा जो उसने पूर्व परीक्षा के आवेदन पत्र में अंकित किया था।

(ख) जिस जिले के अग्रेषण अधिकारी से आवेदन पत्र अग्रेषित करवा रहे हैं,उसी जिले के दो परीक्षा केन्द्र स्थानों का चयन वरीयता क्रम में लिखे। बोर्ड कार्यालय पहले स्थान पर परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा। अन्यथा दूसरे स्थान पर अथवा बोर्ड की सुविधा पर आवंटित किया जा सकता है। केन्द्र स्थानों का कोड नम्बर आवेदन पत्र में अवश्य लिखें। इसकी जानकारी अग्रेषण अधिकारी से ले लें। परीक्षा केन्द्र स्थान पर कोड नामावली एवं आवेदन–पत्र में ध्यान पूर्वक भरे। कोड त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में गलत केन्द्र आवंटित होने की समस्त जिम्मेदारी परीक्षार्थी की स्वयं की होगी।

(ग) जन्म तिथि अंकों व शब्दों में वही लिखें जो विद्यालय के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में अंकित है जो मूल रूप से संलग्न है।

(घ) सैक्स कोड को पुरूष के लिए 01 तथा महिला के लिये 02 स्पष्टतः लिखें।

(ङ) यदि परीक्षार्थी दृष्टिहीन, विकलांग, सूर्यमुखी, सैनिक, सेरीब्रल पाल्सी, पोलियो/लकवा/अधिगम अक्षमता (Learning Disability) व मूक बधिर है तो इसका कोड भी आवेदन पत्र में यथा स्थान लिखें।

(च) आवेदन पत्र पर यथा स्थान अपनी नवीनतम श्वेत श्याम आवक्ष चित्र चिपकाऐं। नीचे के कालम में हस्ताक्षर करें।

(छ) अनुदेश के अनुसार जिस श्रेणी में प्रविष्ट होना चाहते हैं उस श्रेणी को (✔) चिन्हित करें। इसमें त्रुटि नहीं करे। कृपया अवगत हो कि उस ही विषय में प्रवेशाज्ञा दी जा सकेगी जिस विषय में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के परीक्षार्थी प्रविष्ट हो रहे हों यद्यपि विषय परीक्षा योजनानुसार मान्य है।

(ज) आवेदन पत्र के अन्त में परीक्षार्थी निर्धारित स्थान पर अपना पता स्पष्टतः लिखें और की जाने वाली घोषणा को भली भांति पढ़कर अपने पूर्ण हस्ताक्षर दिनांक सहित करें।

(झ) आवेदन पत्र के बायीं ओर उस परीक्षा का विवरण, वर्ष, विषय आदि सहित दें जिसके आधार पर परीक्षा में प्रविष्ट होने की पात्रता रखते है।

(ञ) आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रलेख संलग्न करें –

(अ) प्रवेशिका परीक्षा अनुत्तीर्ण की मूल अंकतालिका तथा उसकी सत्यापित फोटो प्रति अथवा कक्षा 8 उत्तीर्ण की मूल अंकतालिका तथा मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जिस विद्यालय से अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की है तथा इनकी सत्यापित फोटो प्रतियाँ।

(ब) अन्य प्रलेख जो परीक्षार्थी की पहचान के लिए आवश्यक हों।

6. अग्रेषण अधिकारी को परीक्षार्थी की पहचान के लिए संतुष्ट होना आवश्यक है –

आवेदन पत्र जमा कराते समय परीक्षार्थी को अग्रेषण अधिकारी को यह संतुष्ट करना आवश्यक है कि आवेदन पत्र उसी परीक्षार्थी का है, जिसका फोटो आवेदन पत्र पर लगा है। इसके लिए उसे निम्नांकित किसी एक स्थिति में होना आवश्यक है :–

(i) अग्रेषण विद्यालय का पूर्व विद्यार्थी हो और अग्रेषण अधिकारी उसे पहचानते हों।

(ii) विद्यालय के कोई अध्यापक जो स्थाई सेवा में हो, उसकी पहचान प्रमाणित करें।

(iii) रु. 10/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अपना फोटो लगाकर शपथ पत्र जिसे ओथ कमिश्नर या नोटेरी पब्लिक सत्यापित करें। अतः आवेदन पत्र जमा कराते समय उपरोक्त में से कोई एक प्रमाण पत्र साथ रखें।

7. आवेदन पत्र जमा कराना –

(i) अनुदेश –5 के अनुसार आवेदन पत्र की पूर्ति कर सम्बंधित अग्रेषण अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित तिथियों में जमा कराना होगा।

(ii) एक बार मात्र परीक्षा शुल्क जमा करा देने से परीक्षार्थी परीक्षा में बैठने का हकदार नहीं हो जाएगा। उसे आवेदन पत्र भी वापस निर्धारित तिथि में ही अग्रेषण अधिकारी को जमा कराना हैं। यदि परीक्षार्थी निर्धारित तिथियों में आवेदन पत्र जमा नहीं करा पाता है तो उसे किसी भी दशा में परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। आवेदन पत्र भरकर वापस अग्रेषण अधिकारी को देते समय परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा शुल्क जमा कराने की रसीद भी ले जाये तथा आवेदन पत्र जमा कराने की पावती अग्रेषण अधिकारी से प्राप्त करें जिसे परीक्षार्थी सम्भाल कर रखें।

(iii) आवेदन पत्र की पूर्ति के बाद परीक्षार्थी को निर्धारित अन्तिम तिथियों तक नियमानुसार इसी अग्रेषण अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर आवेदन – पत्र अग्रेषित कराकर अग्रेषण अधिकारी के पास जमा कराना होगा। असाधारण विलम्ब शुल्क की स्थिति में आने पर भी आवेदन पत्र वहीं जमा कराऐं जहां से लिया है। आवेदन पत्र वाले आवक्ष चित्र के नीचे परीक्षार्थी व अग्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। आवेदन – पत्र जमा कराते समय यदि निर्धारित तिथियों के अनुसार कोई अतिरिक्त शुल्क परीक्षार्थी को देना है तो वह जमा कराना होगा। आवेदन पत्र में सफेद व काले दोनों आवक्ष चित्र नवीनतम तथा एक ही आकृति में होने चाहिए। जैन साधु/साध्वियों को आवेदन–पत्र पर आवक्ष चित्र लगाने से मुक्ति प्रदान की गई है।

(iv) भारतीय सेना (थल, जल व वायुसेना, सीमा सेना अथवा आर.ए.सी.) में कार्यरत परीक्षार्थियों को आवेदन पत्र सीधे बोर्ड को भेजने की सुविधा दी गई है। सेना अधिकारी ऐसे परीक्षार्थी के लिए प्रमाणित करेंगे कि आवेदक उसकी यूनिट या रैजीमेंट में नियुक्त है। जो परीक्षार्थी आवेदन पत्र भरते समय केन्द्रीय सुरक्षा बल में कार्य कर रहे हैं, उनको अपना आवेदन पुलिस अधिकारी जिसका पद डिप्टी सुपरिटेंडेन्ट के पद से कम न हो, के द्वारा अग्रेषित करवा कर सीधा बोर्ड को भेजने की सुविधा है। शेष नियम अन्य स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के समान लागू होंगे। सैनिक परीक्षार्थी को परीक्षा शुल्क जमा कराने की रसीद की फोटो स्टेट प्रतिलिपी आवेदन पत्र के साथ लगाकर भेजना अनिवार्य है। इसके अभाव में उसका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।

(v) यदि कोई परीक्षार्थी अपने आवेदन पत्र में असत्य विवरण अथवा फर्जी/झूठे प्रलेख संलग्न कर अथवा प्रलेखों में हेराफेरी करके परीक्षा में प्रवेश पाने का प्रयत्न करेगा तो उसका आवेदन पत्र निरस्त कर बोर्ड द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। यदि वह परीक्षा में प्रविष्ट हो गया है तो भी उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी व परीक्षा शुल्क भी नहीं लौटाया जायेगा तथा दोष की गम्भीरता के अनुसार दण्ड भी दिया जा सकेगा। फर्जी/झूठे प्रलेख प्रस्तुत करने वाले परीक्षार्थियों के विरूद्ध पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई जावेगी।

(vi) इस कार्यालय में पूछताछ करते समय परीक्षार्थी अपना पूरा विवरण यथा नाम, अग्रेषण अधिकारी का नाम, परीक्षा केन्द्र का नाम तथा विषय अवश्य लिखें। उक्त विवरण रहित पत्र का उत्तर देना सम्भव नहीं होगा। सैनिक परीक्षार्थी को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा प्रत्येक पत्र व्यवहार के समय उक्त पूर्ण विवरण व पता अवश्य देना चाहिए।

नोट :– प्राइवेट कोचिंग इन्स्टीट्यूट्स को बोर्ड ने आवेदन पत्र बेचने अथवा अग्रेषित करने का अधिकार नहीं दिया हुआ है, अतः परीक्षार्थी को ऐसी संस्थाओं से उक्त कार्य हेतु सम्पर्क नहीं करना चाहिए। यदि किसी परीक्षार्थी के बारे में यह पाया गया कि उसने प्राइवेट कोचिंग इन्स्टीट्यूट्स के मार्फत आवेदन पत्र बोर्ड को प्रस्तुत किया है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसे बोर्ड नियमानुसार दण्डित किया जा सकेगा।

8. परीक्षा शुल्क से मुक्ति –

निम्नांकित परीक्षार्थियों को वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर साधारण परीक्षा शुल्क के रूप में टोकन शुल्क रु. 45/– ही नकद जमा कराना होगा किन्तु साधारण शुल्क की तिथि के बाद देय अतिरिक्त शुल्क पूरा लिया जावेगा। केन्द्र/वर्ग/विषय परिवर्तन करने वाले छात्रों से भी पूरा शुल्क लिया जावेगा।

(1) दृष्टिहीन परीक्षार्थी (दृष्टिहीन होने की पुष्टि में आवेदन पत्र के साथ राजकीय चिकित्सालय के प्रधान चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।)

(2) युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अथवा अपाहिज सैनिकों के पुत्र/पुत्री (पुष्टि हेतु सैनिक अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।)

(3) विकलांग परीक्षार्थी हेतु विकलांग परीक्षार्थी की परिभाषा निर्देशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर द्वारा विकलांगों को रोजगार के लिये निर्धारित की गई परिभाषा के अनुसार मानी जायेगी। ऐसे परीक्षार्थियों द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले विकलांगो को निर्धारित प्रपत्र में जारी किए गए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही शुल्क से मुक्ति प्रदान की जा सकेगी।

9. प्रवेश – पत्र एवं अंकतालिका प्राप्त करने की विधि :

(क) परीक्षार्थी को चाहिए कि वह परीक्षारम्भ के एक सप्ताह पूर्व सम्बंधित अग्रेषण अधिकारी से सम्पर्क कर प्रवेश पत्र प्राप्त कर लें।

(ख) टी.सी. वापस नहीं की जायेगी। यदि परीक्षार्थी को इसकी आवश्यकता हो तो वह बोर्ड कार्यालय में रु. 50/– भेज कर प्राप्त कर सकता है।

(ग) जिन सैनिक परीक्षार्थियों, के आवेदन पत्र सैनिक अधिकारियों द्वारा अग्रेषित होकर प्राप्त होंगे उनके प्रवेश पत्र उनके आवेदन पत्र में लिखे स्थाई पते पर बोर्ड कार्यालय से सीधे भेज दिये जायेंगे। अतः परीक्षार्थी अपने स्थाई पते पर जानकारी करता रहे।

(घ) जिस परीक्षार्थी का आवेदन – पत्र किसी भी कारण से निरस्त कर दिया गया है तो उसकी सूचना संबंधित परीक्षार्थी एवं अग्रेषण अधिकारी को दे दी जायेगी।

(ड) स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को उनके प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका तथा पूरक परीक्षा योग्य परीक्षार्थियों को अंकतालिकाएं उसी केन्द्र पर, जिस पर कि उन्होंने परीक्षा दी थी, परिणाम घोषित होने के पश्चात् भेज दी जाएगीं। अतः अंक तालिका प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थियों को स्वयं को केन्द्राधीक्षक के पास अपना प्रवेश पत्र लेकर उपस्थित होना चाहिए। सैनिक परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र व अंकतालिका उनके आवेदन पत्र में दिये गए पते पर बोर्ड कार्यालय द्वारा सीधी भिजवा दी जावेगी।

10. विषय/केन्द्र परिवर्तन :–

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् विशेष परिस्थितिवश यदि कोई परीक्षार्थी केन्द्र/विषय/वर्ग/श्रेणी/माध्यम परिवर्तन करना चाहे तो निम्नानुसार आवेदन कर सकता है :–

1. केन्द्र/श्रेणी परिवर्तन हेतु एक परीक्षा शुल्क सहित आवेदन — अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2013
2. केवल केन्द्र परिवर्तन हेतु दुगने परीक्षा शुल्क सहित (केवल विशेष परिस्थिति यथा स्थान परिवर्तन/प्राकृतिक आपदा की स्थिति में।) — अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2013

परीक्षार्थ आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् यदि परीक्षार्थी विषय परिवर्तन करना चाहे तो निम्नानुसार विषय परिवर्तन कर सकेगा।

1. 30 नवम्बर तक प्रति विषय परिवर्तन हेतु एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर।
2. 31 दिसम्बर तक विषय परिवर्तन करने हेतु प्रति विषय दुगुना परीक्षा शुल्क के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर।
3. 31 दिसम्बर के पश्चात् बोर्ड स्तर/परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न–पत्र उपलब्ध होने की स्थिति में 1000/– रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति विषय के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर।
4. यदि केन्द्र पर प्रश्न–पत्र उपलब्ध नहीं होने पर विषय परिवर्तन शुल्क रुपये 2000/– प्रति विषय लिया जायेगा। इस हेतु परीक्षार्थी परीक्षा प्रारम्भ के तीन दिवस पूर्व विषय परिवर्तन की सूचना देनी होगी। अन्यथा उसका किसी भी परिस्थिति में विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

   उपरोक्त अनुमति परीक्षा प्रारम्भ होने कीतीन दिवस पूर्व प्रार्थना पत्र एवं परीक्षा शुल्क बोर्ड कार्यालय को प्राप्त होने पर ही दी जा सकेगी।

नोट : 1. 31 दिसम्बर 2013 के पश्चात सामान्यतः केन्द्र परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

11. परीक्षा आवेदन पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में शुल्क जमा कराया गया है तो यह परीक्षार्थी की खुद की निजी जिम्मेदारी होगी कि वह एक सप्ताह में अग्रेषण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करा दे। इस बाबत वह इस बोर्ड से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहेगा।

12. प्रवेशिका परीक्षा वर्ष 2014 की परीक्षा हेतु कोड लिस्ट :

	अनिवार्य विषय	**कोड**	**सैक्स**	**कोड**	**अन्य**	**कोड**
1.	हिन्दी	01	पुरूष	01	दृष्टिहीन	01
2.	अंग्रेजी	02	महिला	02	विकलांग	02
3.	संस्कृत	95	**जाति**	**कोड**	सूर्यमुखी	03
4..	विज्ञान	07	सामान्य		सैनिक	04
5.	सामाजिक विज्ञान	08	अल्पसंख्यक	06	मूक बधिर	05
6.	गणित	09	अनुसूचित जाति	07	सेरीब्रल पाल्सी	06
	क्षेत्र कोड		अनुसूचित जनजाति	08	पोलियो/लकवा/	
	शहरी	1	पिछड़ी जाति	09	जन्मजात विकलांगता	07
	ग्रामीण	2	विशेष पिछड़ी जाति	10	अधिगम अक्षमता	08

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर